न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 131 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
युवराज सिंह पुत्र अचलाराम चौधरी उम्र 22 वर्ष जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी	1. अचलाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 49 वर्ष 2. डालूराम पुत्र खंगाराराम उम्र 65 वर्ष 3. तेजाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 45 वर्ष 4. मूलाराम पुत्र दीपाराम उम्र 28 वर्ष 5. जीयाराम पुत्र दीपाराम उम्र 35 वर्ष जातियान जाट निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 2,3,5 अनुपस्थित शेष एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 6 के पैरोकार सरकार उप0।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 09.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि तहसील सिणधरी के ग्राम कादानाडी की खसरा संख्या 347,348,349 ,350 रकबा क्रमशः 0.1294, 0.0324,0.0728,11.7629 कुल क्षेत्रफल 11.9975 हैक्टयर, ग्राम लाखाबेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टयर व ग्राम कूकलों की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3.4140 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि का पर्चा लगान प्रार्थी के दादा खंगाराराम के नाम जारी हुआ था और खंगाराराम के फोत होने पर प्रार्थी के पिता विप्रार्थी सं0 1 व अन्य वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी का जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जातें है। लेकिन विवादित भूमि विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी है, उन्होने इसका नाजायज फायदा उठाकर भूमि को बेचान करने पर उतारू है। जबकि प्रार्थी का अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशंय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं 2,3,5 स्वयं उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि की प्रथम जमाबंदी संवत 2012 से 2031 खंगारा पुत्र भीया कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हो रखी है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पुत्र–पुत्रियो का हक हकूक नियत होता है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदौबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक एवं खातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला निस्तारण तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कादानाडी की खसरा संख्या 347,348,349,350 रकबा कमशः 0.1294, 0.0324,0.0728,11.7629 कुल क्षेत्रफल 11.9975 हैक्टयर, ग्राम लाखाबेरी के खसरा नम्बर 106 रकबा 4.0693 हैक्टयर व ग्राम कूकलों की ढाणी के खसरा नम्बर 331/1 रकबा 3.4140 हैक्टयर भूमी में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:43 IST
Reason: SelfAttested